

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर**

(1) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 1988/2021

1. पूजा पुनाराम पटेल पुत्री पुनाराम पटेल, आयु लगभग 20 वर्ष, अशोक नगर, 24B 701, ओम साई भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र।
2. कनिष्का शर्मा पुत्री रमेश चन्दर शर्मा , आयु लगभग 19 वर्ष, मकान संख्या 15, वार्ड संख्या 5 बटोटे, तहसील बटोटे, जिला रामबन बटोटे, जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)
3. हर्षिता साधवानी पुत्री राजू साधवानी, आयु लगभग 21 वर्ष, 112, सिन्धी कॉलोनी, शास्त्री नगर, जोधपुर।

.----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर 18, कुंभा नगर, प्रताप नगर, जयपुर, जरिए परीक्षा नियंत्रक।
2. द व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान, जरिए प्राचार्य

----प्रत्यर्थीगण

से सम्बद्ध

(2) एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 12192/2019

1. खुशी देवड़ा पुत्री राजेश भाई, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर, राजस्थान।
2. प्रीति संधु पुत्री श्री तरदेस कुमार, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
3. प्रेया शर्मा पुत्री श्री जोगिंदर पॉल, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
4. मो.साजेद पुत्र श्री जाकिर हुसैन, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।

5. करण मेंगी पुत्र श्री दीपक मेंगी, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
6. सुमैरा रियाज पुत्री श्री रियाज अहमद जरगर, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
7. सुप्रिया जसवाल पुत्री श्री कुलवंत सिंह, आयु लगभग 18 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
8. सौरव चंदन पुत्र श्री रमेश कुमार, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
9. मो.आफताब पुत्र श्री मो. अल्ताफ, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।
10. संजु राजपुरोहित पुत्री श्री जेटूसिंह बाबुसिंह राजपुरोहित, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोधपुर राजस्थान।
11. अक्षिता पंडिता पुत्री श्री विनोद कुमार, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी महिला छात्रावास, व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य (शिक्षा) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जरिए रजिस्ट्रार, आर.यू.एच.एस. कैम्पस, जयपुर-302033।
3. द व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर, कुड़ी हौद, पाली रोड, झालामंड, जोधपुर-342005।

----प्रत्यर्थीगण

(3) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 4321/2020

नेहा सिंह पुत्री श्री प्रेम चंद सिंह, आयु लगभग 21 वर्ष, जितौड़ा जामुआं, भोजपुर, बिहार-802159

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारतीय दंत परिषद, जरिये संयुक्त सचिव, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
2. अध्यक्ष, राज्य नीट स्नातक-पूर्व चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा प्रवेश सह नियंत्रण परिषद बोर्ड, 2018, जयपुर जरिए प्राचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
3. महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज और अनुसंधान सेंटर, जरिए प्राचार्य, 11 एलएनपी हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर इसके प्राचार्य के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

(4) एस.बी. सिविल रिट याचिका नं. 2329/2021

निशा प्रजापत पुत्री श्री श्याम लाल प्रजापत, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी 115, ईस्ट पटेल नगर, गणेशपुरा, रतनाड़ा, जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारतीय दंत परिषद, जरिये संयुक्त सचिव, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
2. अध्यक्ष, राज्य नीट स्नातक-पूर्व चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा प्रवेश सह नियंत्रण परिषद बोर्ड, 2018, जयपुर जरिए प्राचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जरिये परीक्षा नियंत्रक, सेक्टर 18, कुंभा नगर, प्रताप नगर, जयपुर
4. द व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जरिए प्राचार्य, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान

----प्रत्यर्थीगण

(5) एस.बी. सिविल रिट याचिका नं. 516/2022

1. वृंदा चौधरी पुत्री श्री बालदेव चौधरी, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी मेरता सिटी, नागौर।
-

2. सोनिका कटोच पुत्री श्री राजेंद्र कुमार, आयु लगभग 21 वर्ष, गांव चांटी गटोच, भद्रवाह, जिला डोडा (जे एंड के)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जरिये परीक्षा नियंत्रक, सेक्टर 18, कुंभा नगर, प्रताप नगर, जयपुर।
2. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जरिये संयुक्त सचिव, ऐवान-आई-गालिब मार्ग, कोतला रोड, नई दिल्ली - 110002।
2. अध्यक्ष, राज्य नीट स्नातक-पूर्व चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा प्रवेश सह नियंत्रण परिषद बोर्ड, 2018, जयपुर जरिए प्राचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, जयपुर, राजस्थान।
4. व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जरिए प्राचार्य, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री. मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के
सहायक श्री अनिकेत तातेड़, श्री निखिल
डूंगावत

प्रत्यर्थीगण) के लिए : श्री. एस.एस. राठौड़, एएजी के सहायक
श्री. प्रवीन कुमार चौधरी
श्री. ए.ए. भंसाली
श्री. महेंद्र बिश्नोई
श्री. राजेश पुनिया
श्री. एन.एस. राजपुरोहित, एएजी
श्री. विपुल धरनिया
श्री. सांवर लाल, डी. वाई. जी. सी. की ओर से
श्री शेर सिंह राठौड़

न्यायाधिपति दिनेश मेहता**निर्णय****रिपोर्ट योग्य****03/04/2025**

1. इन रिट याचिकाकाओं में लगभग एकसमान तथ्य एवं विधि अंतर्वलित है और इसलिए, इनको संयुक्त रूप से निस्तारित किया जा रहा है।
2. हालांकि, संक्षिप्तता और स्पष्टता के लिये, *एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 1988/2021 : पूजा पुनारम पटेल एवं अन्य बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य* से तथ्य लिये जा रहे हैं।
3. याचिकाकर्ताओं के पक्ष का समर्थन करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी ने निवेदन किया कि तीनों याचिकाकर्ताओं, अर्थात् पूजा पूनाराम पटेल, कनिष्का शर्मा और हर्षिता साधवानी ने नीट परीक्षा-2019 में भाग लिया था और उसे उत्तीर्ण किया था तथा विधि के अनुसार व्यास डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर में प्रवेश लिया था। हालांकि, प्रत्यर्थी-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एतस्मिनपश्चात् आर.यू.एच.एस.के रूप में निर्दिष्ट) और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (एतस्मिनपश्चात् डीसीआई के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा उनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् 15.09.2019 तक डी.सी.आई. और आर.यू.एच.एस. की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड नहीं किए गए थे।
4. उन्होंने यह प्राख्यान किया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रवेश प्राप्त किया और 18.09.2019 को आर.यू.एच.एस. द्वारा अनंतिम रूप से प्रवेश दिए जाने के बाद अपना अध्ययन जारी रखा। इसी बीच, डी.सी.आई. ने सभी डेंटल कॉलेजों को प्रवेशित छात्रों की सूची भेजने हेतु एक पत्र भेजा और जिसके अनुसरण में, महाविद्यालयों ने 01.10.2019 को छात्रों की सूची भेज दी।
5. प्रत्यर्थी संख्या 2 - व्यास डेंटल कॉलेज ने दिनांक 01.10.2019 के पत्र के माध्यम से छात्रों का विवरण इस अभिवचन के साथ प्रस्तुत किया कि अनवधानता के कारण याचिकाकर्ताओं के नाम उस सूची में प्रतिबिंबित नहीं हो पाए थे जो 15.09.2019 को प्रस्तुत की गई थी। डी.सी.आई. ने कॉलेज द्वारा भेजी गई छात्रों की उक्त सूची को

चिकित्सा शिक्षा निदेशक को अग्रेषित कर दिया, जिसके दौरान यह प्रकट हुआ कि याचिकाकर्ताओं के नाम उस प्रारंभिक सूची में प्रतिबिंबित नहीं थे जो कॉलेज द्वारा 15.09.2019 को अपलोड की गई थी।

6. शीर्षकयुक्त रिट याचिकाओं में से प्रथम रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021) में, प्रत्यर्थागण द्वारा जो विसंगति पाई गई थी, वह यह थी कि याचिकाकर्ताओं (पूजा पूनाराम पटेल, कनिष्का शर्मा और हर्षिता साधवानी) के नाम उस सूची में प्रतिबिंबित नहीं थे जो कॉलेज द्वारा डी.सी.आई. और आर.यू.एच.एस. की अधिकृत वेबसाइट्स पर अपलोड की गई थी।

7. डी.सी.आई. ने दिनांक 03.12.2019 को संसूचना जारी की और प्रत्यर्था-कॉलेज को याचिकाकर्ताओं को प्रवेश से मुक्त करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्था-कॉलेज को दिनांक 03.12.2019 की संसूचना प्राप्त हो चुकी थी, न तो याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया और न ही प्रत्यर्था-कॉलेज द्वारा उन्हें प्रवेश से मुक्त किया गया, और केवल तब, जब उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, उन्हें डी.सी.आई. द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.12.2019 के बारे में पता चला।

8. यह तथ्य कि डी.सी.आई. ने दिनांक 03.12.2019 का आदेश पारित किया था, याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में रिट याचिका दायर करने के बाद ही आया। उन्होंने एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया है और दिनांक 03.12.2019 के आदेश को चुनौती दी है।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भंडारी ने निवेदन किया कि जहाँ तक प्रथम रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1988/2021) में शामिल याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनकी स्थिति थोड़ी भिन्न आधारों पर है। शेष छात्रों के विरुद्ध आरोप यह हैं कि यद्यपि उनके नाम उस सूची में प्रतिबिंबित थे जो प्रत्यर्था-कॉलेज द्वारा (या संबंधित शैक्षणिक वर्षों के लिए अपलोड की गई सूची में) 15.09.2019 को अपलोड की गई थी, किंतु उनके प्रवेश कानून के अनुसार नहीं थे क्योंकि वे राजस्थान नीट यू.जी. काउंसलिंग बोर्ड (एतस्मिनपश्चात् काउंसलिंग बोर्ड के रूप में निर्दिष्ट) में पंजीकृत नहीं थे।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भंडारी ने निवेदन किया कि जहाँ तक रिट याचिका संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 के याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने अंतिम तिथि से पूर्व प्रवेश प्राप्त कर लिया था, किंतु यह कॉलेज की अनवधानता या त्रुटि के कारण हुआ जिसने उनके नाम आर.यू.एच.एस. और डी.सी.आई. को अग्रेषित नहीं किए, जिसके लिए न तो याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया जा सकता है और न ही उनके प्रवेश को निरस्त किया जा सकता है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया कि याचिकाकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता तथा यह तथ्य कि उन्होंने संबंधित नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, विवादित नहीं है और निवेदन किया कि यदि उन कारणों से जो प्रत्यर्थी-कॉलेज ही बेहतर जानता है, याचिकाकर्ताओं से शुल्क स्वीकार करने और उन्हें प्रवेश देने के बावजूद, उसने उनके नाम अग्रेषित नहीं किए, तो प्रत्यर्थी- डी.सी.आई. या आर.यू.एच.एस. द्वारा याचिकाकर्ताओं के प्रवेश को निरस्त करने के बजाय कॉलेज को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि कॉलेज की त्रुटि या मूर्खता के कारण याचिकाकर्ताओं को उनके प्रवेश के निरस्तीकरण का सामना करना पड़ा है।

12. प्रत्यर्थी - डी.सी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. राठौड़ ने निवेदन किया कि श्री भंडारी द्वारा वर्णित तथ्य इतने सरल नहीं हैं जितने कि वे चित्रित किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने, यह भली-भांति जानते हुए कि अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी थी या वे काउंसलिंग बोर्ड में पंजीकृत नहीं थे, पूरी सतर्कता बरतते हुए स्वयं का प्रवेश करवाया। उन्होंने निवेदन किया कि जिन याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी-कॉलेज की मिलीभगत से अनियमित प्रवेश प्राप्त किया है, उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है और डी.सी.आई. द्वारा उनके प्रवेश को बिल्कुल सही तरीके से निरस्त किया गया है।

13. प्रत्यर्थी - आर.यू.एच.एस. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र बिश्रोई ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी-कॉलेज ने कानून के विपरीत और डी.सी.आई.द्वारा निर्धारित मानदंडों के इतर, छात्रों को निरंतर प्रवेश दिए हैं और इसलिए कोई उदारता प्रदान न की जाए।

14. उन्होंने निवेदन किया कि भले ही यह न्यायालय छात्रों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव करता है, तो भी कम से कम प्रत्यर्थी-कॉलेज को उसके द्वारा की गई घोर अनियमितताओं के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

15. उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी-आर.यू.एच.एस. ने प्रत्यर्थी-कॉलेज पर उन छात्रों को दिए गए अनियमित प्रवेशों के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने रिट याचिका संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 दायर की थी (अर्थात, पूजा पूनाराम पटेल, कनिष्का शर्मा और हर्षिता सावधानी)।

16. यह सूचित करते हुए कि प्रत्यर्थी-कॉलेज ने एक अलग रिट याचिका (जो कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8012/2023 है) दायर करके जुर्माने के अधिरोपण को अलग से चुनौती दी है, उन्होंने निवेदन किया कि उक्त रिट याचिका लंबित है, यद्यपि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा इस शर्त के अधीन कि यदि प्रत्यर्थी-कॉलेज जुर्माने की राशि का 25% जमा करा देता है, जुर्माने की राशि की वसूली पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है।

17. उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि यदि याचिकाकर्ताओं को, या प्रत्यर्थी-कॉलेज पर लगाए गए जुर्माने के भुगतान के संबंध में कॉलेज को कोई भी उदारता प्रदान की जाती है, तो यह ऐसी रिट याचिकाओं में शामिल पक्षों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

18. श्री राठौड़ और श्री बिश्नोई ने एक साथ निवेदन किया कि न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रत्यर्थी-कॉलेज किसी भी सहानुभूतिपूर्ण विचार के हकदार हैं। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किए गए विभिन्न आदेशों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक समान मामले में खंडपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 911/2018 में पारित अपने आदेश दिनांक 26.04.2023 के माध्यम से प्रति छात्र 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

19. प्रत्यर्थी-कॉलेज की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.ए. भंसाली ने निवेदन किया कि जहाँ तक रिट याचिका संख्या 1988/2021 के याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने अंतिम तिथि से पूर्व प्रवेश प्राप्त कर लिया था, किंतु उन्होंने प्रत्यर्थी-कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की थी और इसलिए, दिनांक 15.09.2019 को, जब प्रवेशित छात्रों की सूची

अपलोड की गई थी, उनके नाम प्रतिबिंबित नहीं हुए थे, हालांकि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 15.09.2019 के बाद प्रत्यर्थी-कॉलेज में रिपोर्ट कर दी थी, इसलिए उनके नाम आगामी सूची में शामिल कर लिए गए थे जो दिनांक 01.10.2019 को अपलोड की गई थी। उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में, पहली सूची अपलोड होने की तिथि (15.09.2019) और आगामी सूची अपलोड होने की तिथि (01.10.2019) के बीच केवल 15 दिनों का एक छोटा सा समयांतराल है और इसलिए, प्रत्यर्थी-डी.सी.आई. द्वारा लगाया गया अनियमित प्रवेश का आरोप पोषणीय नहीं है।

20. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

21. यह तथ्य कि सभी याचिकाकर्ता नीट अर्हित हैं और उनमें से प्रत्येक ने प्रत्यर्थी-कॉलेज के तहत प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक पर्सेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं, विवादित नहीं है।

22. विवाद का पहला मुख्य बिंदु यह है कि रिट याचिका (जो कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 है) के तीनों याचिकाकर्ताओं के नाम उस पहली सूची में प्रतिबिंबित नहीं थे जिसे प्रत्यर्थी-कॉलेज ने 15.09.2019 को अपलोड किया था, और दूसरा यह है कि यद्यपि शेष रिट याचिकाओं में शामिल छात्रों के नाम 15.09.2019 की सूची में प्रतिबिंबित थे, किंतु उन्होंने काउंसलिंग बोर्ड में स्वयं का पंजीकरण नहीं कराया था।

23. चाहे जो भी कारण रहे हों - सद्भावपूर्वक या अन्यथा, दिनांक 15.09.2019 को अपलोड की गई छात्रों की सूची में याचिकाकर्ताओं के नामों का प्रतिबिंबित न होना इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी-कॉलेज के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि वह 15.09.2019 को प्रवेशित छात्रों की सूची प्रदान करे और इसलिए प्रत्यर्थी-कॉलेज द्वारा लिया गया यह तर्क कि चूंकि इन तीन छात्रों ने 15.09.2019 तक कॉलेज में रिपोर्ट नहीं की थी, इसलिए उनके नाम सूची में नहीं दिखाए गए थे, एक लचर बहाने के सिवाय और कुछ नहीं है।

24. दूसरे विवाद्यक पर आते हुए, यह आवश्यकता कि निजी कॉलेज सहित राजस्थान के किसी भी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी के लिए काउंसलिंग बोर्ड में स्वयं का पंजीकरण कराना आवश्यक है, हितधारकों के लिए अज्ञात नहीं है। शेष रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ता स्वीकार्य रूप से संबंधित वर्षों के काउंसलिंग बोर्ड में पंजीकृत नहीं थे। उनके प्रवेशों के बारे में भी कानून के अनुरूप होने का दावा नहीं किया जा सकता है या किसी भी स्थिति में उन्हें नियमित नहीं माना जा सकता है।

25. इस प्रक्रम पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भंडारी ने निवेदन किया कि इन सभी छात्रों (संख्या में लगभग 20) को वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 में प्रवेश दिया गया था और उन्होंने न केवल न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश (आदेशों) के अनुसरण में अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं, बल्कि उन्हें सफल भी घोषित किया जा चुका है (यद्यपि उन्हें अंकतालिकाएँ जारी नहीं की गई हैं)। उन्होंने प्रार्थना की कि संभवतः किशोरावस्था या कानूनी समझ की कमी के कारण, याचिकाकर्ताओं ने इसके परिणामों से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हुए, जिनका उन्हें अंततः सामना करना पड़ सकता है, अपने करियर को बनाने की उत्सुकता/जोश में प्रत्यर्थी-कॉलेज में प्रवेश ले लिया था।

26. उन्होंने तर्क दिया कि कुछ छात्रों/उनके माता-पिता ने शिक्षा ऋण ले रखे हैं। यह बात दोहराते हुए कि इस तरह का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, उन्होंने दलील दी कि चूंकि उनकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता पर कोई संदेह नहीं था, इसलिए बैंकों ने भी ऋण सुविधाएं प्रदान कर दीं। उन्होंने अंत में प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं के प्रवेश को नियमित किया जाए।

27. इस न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया पूर्वोक्त अनुरोध, साम्या के सिद्धांतों पर एक सहानुभूतिपूर्ण विचार की अपेक्षा रखता है। याचिकाकर्ता 20-22 वर्ष की आयु के युवा हैं और उन्हें अभी अपना जीवन शुरू करना है। यदि इस चरण पर, उनके प्रवेश को निरस्त करने के डी.सी.आई. द्वारा पारित आदेश को प्रभावी होने दिया जाता है, तो इसका परिणाम अपूरणीय होगा - ये युवा छात्र पुनः उसी प्रारंभिक स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। न केवल उनके प्रारंभिक यौवन के 5-6 वर्ष व्यर्थ चले जाएंगे, बल्कि उनकी फीस और पैसा भी व्यर्थ ही बह जाएगा। अब तक, वे किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आयु-सीमा पार कर चुके होंगे। उनके 5वर्षों

की शिक्षा और अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किया है, सर्वथा निरर्थक हो जाएगा।।

28. ऐसी स्थिति होने पर, यह न्यायालय यह महसूस करता है कि यदि छात्रों द्वारा प्रदर्शित की गई तत्परता की कमी के लिए प्रति छात्र 1 लाख रुपये का एक सांकेतिक जुर्माना लगाने के अधीन उनके प्रवेशों को नियमित कर दिया जाता है, तो इससे न्याय का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। उनका यह उदाहरण भविष्य के छात्रों के लिए प्रवेश लेते समय सतर्क और सावधान रहने के लिए बिजुका के रूप में कार्य कर सकता है और इस प्रकार उनका करियर अधर में नहीं लटकेगा।

29. जहाँ तक प्रत्यर्थी-कॉलेज का संबंध है, इस न्यायालय के अनुसार, उसने छात्रों को (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 में शामिल छात्रों को छोड़कर) अनियमित रूप से प्रवेश दिया था। इसे प्रवेश देते समय अधिक सतर्क और कानून का पालन करने वाला होना चाहिए था, विशेष रूप से उन छात्रों के संबंध में जो संबंधित काउंसलिंग बोर्ड में पंजीकृत नहीं थे।

30. चाहे जो भी हो। यदि यह न्यायालय छात्रों के अनुरोध को स्वीकार करता है, तो वह त्रुटि करने वाले कॉलेजों को बिना किसी सजा के साफ बचकर निकलने नहीं दे सकता। छात्रों को धोखा देकर और उन्हें प्रवेश देकर उनके द्वारा प्राप्त किए गए विधिविरुद्ध लाभ के लिए उन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 29.01.2025 को हाल ही में पारित एक निर्णय इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, जो **डॉ.तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 9289/2019)** के मामले में सुनाया गया था, जिसमें लगभग समान टिप्पणियाँ, हालांकि अधिक बेहतर अभिव्यक्ति के साथ की गई हैं। त्वरित संदर्भ के लिए, उन्हें यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"यह उपरोक्त अवधारण के बाद कि पी.जी. मेडिकल पाठ्यक्रमों में निवास आधारित आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है, राज्य कोटे की सीटों को, संस्था-आधारित आरक्षणों की एक उचित संख्या के अलावा, कड़ाई से अखिल भारतीय परीक्षा में योग्यता के आधार पर भरा जाना होगा। इस प्रकार, उन 64 सीटों में से जिन्हें राज्य द्वारा अपने कोटे से भरा जाना था, 32 सीटों को संस्थागत वरीयता के आधार पर भरा जा सकता था, और ये वैध हैं। किंतु

यू.टी. चंडीगढ़ पूल के रूप में चिह्नित अन्य 32 सीटों को गलत तरीके से निवास के आधार पर भरा गया था, और हम इस महत्वपूर्ण पहलू पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को कायम रखते हैं।

32. यद्यपि उपर्युक्त संदर्भित निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना अधिरोपित नहीं किया है, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी-कॉलेज ने वर्ष-दर-वर्ष अनियमित प्रवेश दिए हैं, इस न्यायालय का यह मत है कि जुर्माना अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।

33. इसी तरह की उदारता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय एवं अन्य के मामले में भी प्रदान की गई है, जो (1986) Suppl SCC 740 में रिपोर्ट किया गया है। इसका सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"8. हम तदनुसार विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा संपुष्ट किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। किंतु प्रश्न अभी भी यह बना हुआ है कि क्या हमें अपीलार्थियों को उन संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए जिनमें उन्हें प्रवेश दिया गया था।"

"अपीलार्थियों की ओर से हमारे समक्ष इस बात पर कड़ा बल दिया गया कि प्रारंभ में विद्वान न्यायाधीश के आदेशों के तहत और तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेशों के तहत वे संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और अब उनके प्रवेश में व्यवधान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उनके प्रवेश की अवधि से लगभग चार वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें अब बाहर निकाला जाता है, तो उनका पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा। अब यह सत्य है कि अपीलार्थी इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं थे और न ही इस तरह के प्रवेश पर उनका कोई वैध दावा था। किंतु यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनके गलत प्रवेश का दोष अपीलार्थियों की तुलना में उन इंजीनियरिंग कॉलेजों पर अधिक होना चाहिए जिन्होंने प्रवेश दिया था।"

....

...

हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंधनों के पापों की सजा अपीलार्थियों को क्यों भुगतनी चाहिए। इसलिए, हम इस निर्णय में हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के होते हुए भी, अपीलार्थियों को उन संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देंगे जिनमें उन्हें प्रवेश दिया गया था। किंतु हम यह निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि त्रुटि करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के विरुद्ध कर्नाटक विश्वविद्यालय को उचित कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इन इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधनों ने न केवल प्रवेश के लिए अपात्र छात्रों को प्रवेश दिया, बल्कि ऐसा करके उन्होंने समान संख्या में पात्र छात्रों को इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से वंचित भी किया है।"

34. अतः ये रिट याचिकाएँ इस रीति से स्वीकार की जाती हैं कि यद्यपि गुणावगुण के आधार पर प्रत्येक छात्र के संबंध में दिनांक 03.12.2019 का आदेश बरकरार रखा जाता है , किंतु साम्या के आधार पर और प्रत्येक छात्र द्वारा 1 लाख रुपये के भुगतान के अधीन, उनके प्रवेश को नियमित किया जाता था।

35. प्रत्येक छात्र आज से एक माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम का ड्राफ्ट किया गया 1 लाख रु. का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगा।

36. डिमांड ड्राफ्ट और उक्त आदेश की वेबप्रति प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी – आर.यू.एच.एस. उन्हें अंकतालिकाएं/डिग्रियां जारी करेगा।

37. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आर.यू.एच.एस. द्वारा डिग्रियां जारी किए जाने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पंजीकृत करेगा।

38. जहाँ तक प्रत्यर्थी-महाविद्यालयों, अर्थात् व्यास डेंटल कॉलेज; एकलव्य डेंटल कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज का संबंध है, वे प्रति छात्र 7 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना 31.07.2025 को या उससे पहले रजिस्ट्रार, आर.यू.एच.एस. को भुगतान करेंगे। यदि प्रत्यर्थी-कॉलेज 31.07.2025 तक प्रति छात्र उक्त 7 लाख 50 हजार रुपये की राशि जमा करने में विफल रहता है (उनके अपील आदि के अधिकार के अधीन रहते हुए), तो काउंसिलिंग बोर्ड ऐसे कॉलेजों के नाम पात्र कॉलेजों की सूची में प्रदर्शित नहीं करेगा।

39. रजिस्ट्रार, आर.यू.एच.एस. जब कभी राशि जमा की जाएगी, उसे एक अलग खाते में रखेंगे और अंततः उक्त राशि को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित करेंगे, जो इस राशि का उपयोग दंत चिकित्सा हेतु कुर्सियों और कुछ अन्य उपकरणों की खरीद के लिए या किसी भी पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए करेंगे (जो राजस्व प्रकृति का न हो)। पूर्वोक्त राशि का उपयोग 31.03.2026 को या उससे पहले किया जाएगा और उपयोगिता प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार, आर.यू.एच.एस. को तथा साथ ही डी.सी.आई. को भी भेजा जाएगा।

40. यह उचित समय है जब न्यायालय को निजी महाविद्यालयों को अनियमित प्रवेश देने से प्रविरत रहने के लिए चेतावनी देनी चाहिए। वर्तमान आदेश विशिष्ट तथ्यों के आलोक में साम्या से निर्देशित होकर और यह विचार करते हुए पारित किया गया है कि विवादग्रस्त प्रवेश 5-6 वर्ष पहले दिए गए थे। तथापि, भविष्य में यदि वर्तमान रिट याचिकाओं में शामिल महाविद्यालयों द्वारा या किसी अन्य कॉलेज द्वारा ऐसा कोई भी अनियमित प्रवेश दिया जाता है, तो डी.सी.आई. और आर.यू.एच.एस. कड़ी कार्रवाई करेंगे। वे केवल जुर्माना लगाने से ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री न समझें - उन्हें कानून के अनुसार, स्पष्टतया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के पश्चात ऐसे महाविद्यालयों को प्रदान की गई मान्यता को वापस लेना या रद्द करना चाहिए।

41. तदनुसार, स्थगन आवेदन भी निस्तारित माने जाते हैं।

एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12192/2019:-

42. यह रिट याचिका भी एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 में आज ही की तारीख को पारित पूर्वोक्त आदेश के निबंधनों के अनुसार निस्तारित की जाती है,

सिवाय 3 याचिकाकर्ताओं के, अर्थात् प्रेया शर्मा, सुमेरा रियाज और सुप्रिया जसवाल के संबंध में।

43. जहाँ तक पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित इन 3 अभ्यर्थियों का संबंध है, उनके विरुद्ध यह आरोप है कि, यद्यपि वे नीट परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी/सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित हुए थे, किंतु उन्होंने प्रत्यर्थी-कॉलेज में 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) के छात्रों के रूप में प्रवेश लिया है।

44. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री डूंगावत ने निवेदन किया कि यह विवादास्पद नहीं है कि ये 3 याचिकाकर्ता (प्रेया शर्मा, सुमेरा रियाज और सुप्रिया जसवाल) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, और साथ ही यह तथ्य भी कि उनके नाम प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची में दर्शित थे और वह भी ओबीसी अभ्यर्थियों के रूप में।

45. उन्होंने निवेदन किया कि मात्र इस कारण से कि याचिकाकर्ता ज्ञान के अभाव या अन्यथा (किसी अन्य कारण) से नीट परीक्षाओं में ओबीसी अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित नहीं हुए थे, उनके प्रवेश रद्द नहीं किए जा सकते।।

46. प्रत्यर्थी - आर.यू.एच.एस. के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनिया ने निवेदन किया कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में सम्मिलित होने के कारण याचिकाकर्ताओं को ओबीसी अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

47. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख के परिशीलन पर, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षाओं में 46 परसेंटाइल प्राप्त किए थे और तदनुसार, वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश दिए जाने के लिए अयोग्य थे। हालांकि, चूंकि उनके अंक ओबीसी अभ्यर्थी के लिए आवश्यक परसेंटाइल (40 परसेंटाइल) से अधिक थे, इसलिए उन्हें प्रवेश दिया गया था।

48. ओबीसी अभ्यर्थियों के रूप में उनकी अर्हता संदेह में नहीं है। यह न्यायालय इस तथ्य और कानून के प्रति सचेत है कि श्रेणी का परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है और सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने वाला अभ्यर्थी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश का दावा नहीं कर सकता है, किंतु चूंकि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2018-2019 में प्रवेश दिए गए थे और अंतरिम आदेश के अनुसरण में उन्होंने न केवल

अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन जारी रखा है बल्कि परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है, इस न्यायालय का यह विचार है कि वे भी साम्यापूर्ण विचार के हकदार हैं, हालांकि, थोड़ा अधिक जुर्माना देने पर।

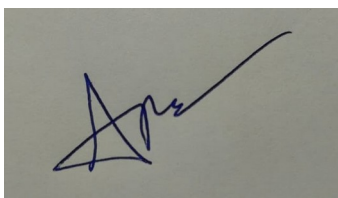
49. इनमें से प्रत्येक याचिकाकर्ता (प्रेया शर्मा, सुमेरा रियाज और सुप्रिया जसवाल) प्रत्येक 2 लाख रुपये का जुर्माना उन्हीं निबंधनों के अनुसार अदा करेंगे जैसा कि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1988/2021 में अवलोकन किया गया है और इन याचिकाकर्ताओं द्वारा 2 लाख रुपये के जुर्माने के भुगतान पर, उनके प्रवेश को नियमित माना जाएगा।।

50. तदनुसार, स्थगन आवेदन भी निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश मेहता),जे

308-309--311-313-315-एमएके/-आकांक्षा/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान